झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 7/वि०शा०/मु०राँची–05–18/2019– 17/19-20 प्र. 607 /राँची, दिनांक 24/07/19

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आन्तिरक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यवसायिक कार्य संस्कृति (Professional Work Culture) को विकसित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यशैली को बढ़ावा देने संबंधी Excel based Application विकसित करने हेतु रू० 2.40 लाख (रूपये दो लाख चालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश–स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यवसायिक कार्य संस्कृति (Professional Work Culture) को विकसित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यशैली को बढ़ावा देने संबंधी Excel based Application विकसित करने हेतु रू० 2.40 लाख (रूपये दो लाख चालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यवसायिक कार्य संस्कृति (Professional Work Culture) को विकसित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यशैली को बढ़ावा देने संबंधी विभागीय संकल्प सं०–1261 दिनांक 04.04.2019 द्वारा संकल्प निर्गत है।

3. प्रसंगाधीन योजना अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को कार्यान्वित किया जाएगा :–

(i) To Develop Excel Based Application for Professional Work Culture based on order issued by Water Resources Department.

(ii) To Empower Department in terms of Governance through Presentation of Professional Work Culture based on order issued by Water Resources Department.

(iii) To incorporate suggestions if any based on Presentation in Excel Based Application.

(iv) To provide handholding for first six months of implementation to Nodal Officer of Water Resources Department & renew later based on performance.

4. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. इस कार्य पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष –80 – सामान्य, लघु शीर्ष 796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष – 75 – सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–49– आर्थिक सहायता, के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

वर्ष 2019–20 के स्वीकृत बजट उपबंध में उक्त बजट शीर्ष अन्तर्गत कुल रू० 1700.00 लाख का बजटीय उपबंध है।

6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

7. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

9. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

10. स्वीकृत्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

24.7.19

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 7/वि०शा०/मु०राँची–05–18/2019– 17/19.20 ४० सा/. /राँची, दिनांक 24/07/19

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7/वि०शा०/मु०राँची–05–18/2019– 17/19-20 ४० सा/. /राँची, दिनांक 24/07/19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

F:\Note 5\VKumar\Sanlekh\Professional Work Culture.doc

पत्रांक :– 7/वि०शा०/मु०राँची–05–18/2019– 17/19-204.स्वी. /राँची, दिनांक 24/07/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7/वि०शा०/मु०राँची–05–18/2019– 17/19-204.स्वी. /राँची, दिनांक 24/07/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।

24.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7/वि०शा०/मु०राँची–05–18/2019– 17/19-204.स्वी. /राँची, दिनांक 24/07/19

प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव